



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5567

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 65 वर्ष 2026

राजेश यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	साधु शरण
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री साधु शरण और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद की दलीलें सुनीं।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि वह चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, फिर भी उसका तबादला विकास खंड देवकली, गाजीपुर से ग्राम पंचायत मौपारा, विकास खंड भंवरकोल, जिला गाजीपुर में कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसने तबादले के बाद कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन तबादला नहीं हो सका। उनका निवेदन है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय तीसरे प्रतिवादी, जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर द्वारा किया जाएगा।
4. न्यायालय में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह **30.01.2026** तक तीसरे प्रतिवादी, जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, तीसरे प्रतिवादी दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

9 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.